एससीटीसी सं.853

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

"पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई''।

के संबंध में

ऊर्जा मंत्रालय

का

उन्नीसवां प्रतिवेदन

19.12.2022 *को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया*

19.12.2022 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया*

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर 2022/ अग्रहायण 1944 (शक)

विषय वस्तु

पृष्ठ

समिति की संरचना ....(iii)

परिचय ....(v)

अध्याय I प्रतिवेदन..

अध्याय II सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.........

अध्याय III सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती...........................

अध्याय IV सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है..........

अध्याय V सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ....

परिशिष्ट

I. 15.12.2022 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश

II. तेरहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की संरचना (2022-23)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी – सभापति

सदस्य- लोकसभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री तापिर गाव
6 कुमारी गोड्डेति माधवी
7. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री विनसेंट एच. पाला
10. श्री छेदी पासवान
11. श्री प्रिंस राज
12. श्री ए. राजा
13. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
14. श्रीमती संध्या राय
15. श्री अजय टम्टा
16. श्री रेबती त्रिपुरा
17. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
18. इंजीनीयर गुमान सिंह दामोर
19. श्री रतन लाल कटारिया
20. श्री जगन्नाथ सरकार

सदस्य - राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री शमशेर सिंह दुलो
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री नारण भाई जे. राठवा
25. श्री राम शकल
26. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी
27. श्री के. सोम प्रसाद
28. श्री प्रदीप टम्टा
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1.	श्री डी.आर. शेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री पी.सी. चौल्डा	-	निदेशक
3.	श्री वी.के. शैलोन	-	उप सचिव
4.	सुश्री पूजा किर्थवाल	-	समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, "विद्युत मंत्रालय से संबंधित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण" विषय पर उनके तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह **उन्नीसवां** प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. 15.12.2022 को प्रारूप प्रतिवेदन पर समिति द्वारा आयोजित बैठक में विचार किया गया और उसे स्वीकार किया गया (परिशिष्ट-I)।

3. प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है:-

I. प्रतिवेदन

II. सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

III. सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

IV. सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

V. सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं

4. समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

नई दिल्ली;
दिसंबर 2022
अग्रहायण 1944 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

1.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन "पावर ग्रिड **कॉर्पोरेशन** ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदभ सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण " के संबंध मे समिति के पाँचवे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 तेरहवां प्रतिवेदन 4 अप्रैल , 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 9 सिफारिशें / टिप्पणियां शामिल थीं। इन सभी सिफारिशों/ टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई हैं और उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(i) सिफारिशें/ टिप्पणियां , जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:-

क्र.सं. 3,4,5,6,7 और 9 (कुल =06)

प्रतिशतता: 67%

(ii) सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:- क्र.सं. 8

(कुल = 01)

प्रतिशतता:11%

(iii) सिफारिशें / टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:-

क्र.सं.1और 2 (कुल = 02)

प्रतिशतता: 22%

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:-

क्र.सं. शून्य कुल = शून्य

प्रतिशतता: 0%

1.3 समिति को विश् वास है कि सरकार द्वारा स् वीकार की गई सिफारिशों/टिप् पणियों के कार्यान् वयन को अत् यंत महत् व दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, जहां विभाग के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरश कार्यान्वित करना संभव नहीं है, मामले को इसके कारणों के साथ समिति को

सूचित किया जाना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि अध्याय-I में निहित सिफारिशों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण उन्हें शीघ्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.4 समिति अब उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 1

1.5 समिति यह जानकर हैरान है कि 'महारत्न' सीपीएसई होने के बावजूद, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी नहीं है। देश के शीर्ष सीपीएसई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व न होना गंभीर चिंता का विषय है। समिति इसके कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति का विचार है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पावर ग्रिड में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, ऐसे पदों के लिए पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट/रियायत प्रदान की जाए। समिति इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को पावर ग्रिड में उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है, जिससे उनके शीर्ष नीतिगत निर्णय लेने की संभावना समाप्त हो जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों को शामिल करने से उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संभावनाएं बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जा रही नीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

सरकार का उत्तर

1.6 पावरग्रिड ने आरक्षित श्रेणी में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण मामलों पर सरकार के निर्देशों को अक्षरश: लागू करना सुनिश्चित किया है। पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के कर्मचारियों को ई-8 स्तर (समूह 'ए' स्तर के पदों के भीतर पदोन्नति) यानी उच्च स्तर के प्रबंधन के लिए पदोन्नति पर विचार करते हुए अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं।इसके अलावा, यह उल्लेख करना है कि बोर्ड स्तर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया के साथ की जाती है। विद्युत मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

समिति की टिप्पणी

1.7 उत्तर से समिति महसूस करती है कि सरकार पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड/प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्तियों संबंधी नीति की समीक्षा के संबंध में समय-समय पर समिति द्वारा की गई टिप्पणियों और सिफारिशों के प्रति गंभीर नहीं है। वर्षों से विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जांच के दौरान समिति ने पाया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बोर्ड/वरिष्ठ स्तर के पदों तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया गया है। समिति का मानना है कि संविधान में निहित सामाजिक-आर्थिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार को बोर्ड/वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुचित प्रतिनिधियों को समायोजित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। समिति विगत पांच वर्षों में आधिकारिक और गैर-आधिकारिक निदेशकों दोनों के बोर्ड/अन्य वरिष्ठ स्तर के पदों संबंधी साक्षात्कार के लिए उपस्थित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या और उनके चयन न होने के कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि नोडल मंत्रालय होने के नाते लोक उद्यम विभाग निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा नियमों/विनियमों में संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत करे। समिति को इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रगति के बारे में सूचित किया जाए।

सिफारिश संख्या 2

1.8 . समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि ग्रुप बी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों का अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि पावर ग्रिड में भर्ती ग्रुप "ए" और ग्रुप "सी" पदों पर होती है, जिसका अर्थ है कि ग्रुप बी पद पदोन्नति पद (प्रमोशनल पोस्ट) हैं। समिति विभिन्न छूट देने के बावजूद भी समूह बी पदों में कम प्रतिशत होने के कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति यह सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति आरक्षण के अपेक्षित प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पुरजोर और पूर्ण प्रयास किए जाएं। समिति यह निदेश देती है कि इस दिशा में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सरकार का उत्तर

1.9 पीजीसीआईएल की पदोन्नति नीति के अनुसार, समूह 'बी' पद अगले उच्च स्तर के पदों (पदोन्नति के माध्यम से समूह 'ए' पदों) के लिए फीडर संवर्ग है। समूह 'बी' पदों के पात्र कर्मचारियों को प्रभावी मानक तिथियों के साथ वार्षिक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर समूह 'ए' पदों के उच्च स्तर के पदों पर पदोन्नत किया जाता है।कभी-कभी पदोन्नति में आरक्षण के अपेक्षित प्रतिशत को सुरक्षित करने के लिए, फीडर संवर्ग जो समूह 'बी' स्तर के कर्मचारी होते हैं, पदोन्नति के माध्यम से उच्च स्तर के पदों पर चले जाते हैं (समूह 'ए' में)जिससे समूहवार पदों की ऐसी विशेष श्रेणी के प्रतिनिधित्व के पर्याप्त प्रतिशत में कमी आती है।इसके अलावा, प्रतिनिधित्व में प्रतिशत की उक्त कमी तब पूरी हो जाती है जब इसके फीडर संवर्ग (अर्थात समूह 'सी' पदों से) के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के माध्यम से समूह 'बी' पदों में स्थानांतरित करने का अवसर मिलता है। हालांकि, पीजीसीआईएल और विद्युत मंत्रालय अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

समिति की टिप्पणी

1.10 समिति को यह बताया गया कि समूह ख और ग अगले उच्च स्तरों के लिए फीडर कैडर हैं और समूह ख और ग के कर्मचारियों को प्रभावी मानक तिथियों के साथ विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर क्रमशः समूह क और ख में पदोन्नत किया जाता है। समिति का मानना है कि पदोन्नति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपायों और रियायतों के बावजूद समूह ख में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का कम प्रतिशत वास्तव में एक पहेली जैसा है। इसलिए समिति समूह ख में पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या और उनमें से कितने को पदोन्नति के लिए

डीपीसी द्वारा अनुशंसित किया गया है, के बारे में अवगत होना चाहती है। समिति को इस बात से भी अवगत कराया जाए कि क्या अनुसूचित जातियों के किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए पात्र होने के पश्चात डीपीसी द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया है। यदि हां, तो इसके लिए सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ इसके कारण भी बताए जाएं।

सिफारिश संख्या 3

1.11 समिति नोट करती है कि कुल 18 (7 एससी और 11 एसटी) रिक्तियां खाली पड़ी हैं। इनमें से 4 रिक्तियां ग्रुप ए की और 14 रिक्तियां ग्रुप सी की हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरा जाए और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं। यह भी नोट किया गया है कि पिछला विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2018 में चलाया गया था। समिति सिफारिश करती है कि इन बैकलॉग रिक्तियों को जल्द-से-जल्द भरने के लिए फिर से विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

सरकार का उत्तर

1.12 पीजीसीआईएल में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में ग्रुप-ए के अंतर्गत वर्तमान में कुल बैकलॉग 04 और 02 है जिन्हें पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है। शेष 02 रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा।

समिति की टिप्पणी

1.13 समिति पीएफसीआई द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है, लेकिन साथ ही एसआरडी के तहत सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए हुई प्रगति के बारे में अवगत होना चाहती है।

सिफारिश संख्या 4

1.14 समिति यह नोट करके हैरान है कि अनुभवी एवं निष्ठावान जनजातीय श्रेणी के अभ्यर्थी के उपलब्ध रहने के बावजूद पावर ग्रिड में अनारक्षित श्रेणी से संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति इस बात पर जोर देती है कि संपर्क अधिकारी संगठन के प्रबंधन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

कर्मचारियों के बीच की कड़ी है जिसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। आरक्षण नीति के संबंध में किसी भी मुद्दे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संपर्क अधिकारी के साथ प्रभावी संपर्क रखने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि संपर्क अधिकारी आरक्षित वर्ग से नियुक्त किया जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि या तो मौजूदा जनजातीय अधिकारी या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उपयुक्त रैंक के जिस अधिकारी को आरक्षण नीतियों का अच्छा ज्ञान है, उसे संबंधित इकाइयों के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक स्टाफ प्रदान किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि चूंकि संपर्क अधिकारी की नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, इसलिए कुशल कार्यकरण के लिए उसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/दिशानिर्देशों का या तो अनुभव हो या उसे उचित रूप से इनमें प्रशिक्षित किया जाए और अन्य भारी आधिकारिक जिम्मेदारियों का आवश्यकता से अधिक बोझ उन पर नहीं डाला जाए।

सरकार का उत्तर

1.15 पीजीसीआईएल ने श्रीमती नीला दास, वरिष्ठ महाप्रबंधक को 09.05.2018 से एससी / एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो एससी श्रेणी से संबंधित हैं और पीजीसीआईएल में उपयुक्त एसटी अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण एसटी आरक्षण मामलों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय कार्यालय में 02 अधिकारियों से युक्त एक आरक्षण-सेल है जो संगठन में जिम्मेदारी के प्रभावी निर्वहन के लिए दिन-प्रतिदिन के कार्य में संपर्क अधिकारी की सहायता करता है। जैसा कि सलाह दी गई थी, पावरग्रिड जून-जुलाई 2022 के महीने में संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा, एक वरिष्ठ स्तर के एसटी अधिकारी को 01.5.2019 को विद्युत मंत्रालय के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सभी संपर्क के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए था। विद्युत मंत्रालय के तहत संगठनों के अधिकारी, काम की अत्यावश्यकता के कारण, उनका स्थानान्तरण किया गया और उन्हें सामान्य श्रेणी के अधिकारी द्वारा 11.11.2021 को संपर्क अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। बाद में 22.12.2021 से एक अन्य

वरिष्ठ स्तर के एससी अधिकारी को विद्युत मंत्रालय के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

समिति की टिप्पणी

1.16 समिति यह उल्लेख करना चाहती है कि संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करते समय केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित संपर्क अधिकारी अधिक संवेदनशील होते हैं और संगठन के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों/कल्याण की देखरेख करने और आरक्षण नियमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। यह बताया गया है कि एसटी संपर्क अधिकारी को हटाने के बाद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। समिति को यह जानकर दुख हुआ है कि 21.12.2021 को आयोजित बैठक में समिति के हस्तक्षेप के बाद ही, एससी संपर्क अधिकारी ने सामान्य को बदल दिया था। समिति का मानना है कि पीजीसीआई द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों और कल्याण के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 8

1.17 समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि वर्तमान में पावर ग्रिड में तीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ हैं, नामतः ऑल इंडिया पावरग्रिड एससी/एसटी एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन, पावरग्रिड एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटीज एम्पलायज एसोसिएशन और पावरग्रिड एससी/एसटी/बैकवर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। समिति सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों और शिकायतों को उठाने में एसोसिएशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीनों एसोसिएशनों का शीघ्रातिशीघ्र आपस में विलय करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय को दिसंबर में 21.12.2022 को हुई बैठक के दौरान समिति द्वारा बताए गए निर्देशानुसार इन सभी एसोसिएशनों को एकजुट करने के लिए लोकतांत्रिक तंत्र बनाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा की जा सके।

सरकार का उत्तर

1.18 पावरग्रिड द्वारा तीनों संघों को एकजुट करने का ठोस प्रयास किया गया है। चूंकि ये संघ संविधान के अनुच्छेद 19 और विशिष्ट पहचान और व्यक्तिगत उपनियमों वाले वैधानिक प्रावधानों के तहत कर्मचारियों के एक समूह द्वारा गठित/पंजीकृत किए गए हैं, इसलिए इन संघों के विलय को लागू करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, पावरग्रिड राष्ट्रीय स्तर पर सभी तीन संघों के साथ हर तिमाही में नियमित बैठकें करता है, जिसमें तीन संघों में से प्रत्येक के चार सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के लिए सभी संघों के साथ क्षेत्रीय स्तर की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। बैठकों के बाद, एजेंडा वार कार्य-वृत्त जारी किए जाते हैं। माननीय समिति के निर्देशों के अनुपालन के लिए तीनों संघों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास जारी रहेगा। इसके अलावा, 15.3.2022 को आरक्षण रोस्टर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने भी पीजीसीआईएल को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार एक अम्ब्रेला एसोसिएशन के तहत लाने के लिए संभावना की तलाश करने हेतु कहा।

समिति की टिप्पणी

1.19 समिति सरकार के उत्तर को स्वीकार करते हुए इस बात पर भी जोर देना चाहती है कि मंत्रालय और पीजीसीआई सभी तीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशनों को एक व्यापक एसोसिएशन के तहत एकजुट करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु सभी संभव प्रयास करे।

अध्याय – दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश संख्या 3

2.1 समिति नोट करती है कि कुल 18 (7 एससी और 11 एसटी) रिक्तियां खाली पड़ी हैं। इनमें से 4 रिक्तियां ग्रुप ए की और 14 रिक्तियां ग्रुप सी की हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरा जाए और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं। यह भी नोट किया गया है कि पिछला विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2018 में चलाया गया था। समिति सिफारिश करती है कि इन बैकलॉग रिक्तियों को जल्द-से-जल्द भरने के लिए फिर से विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

सरकार का उत्तर

2.2 पीजीसीआईएल में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में ग्रुप-ए के अंतर्गत वर्तमान में कुल बैकलॉग 04 और 02 है जिन्हें पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है। शेष 02 रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा।

समिति की टिप्पणी

2.3 **कृपया अध्याय** 1 **का पैरा संख्या** 1.13 **देखें**

सिफारिश संख्या 4

2.4 समिति यह नोट करके हैरान है कि अनुभवी एवं निष्ठावान जनजातीय श्रेणी के अभ्यर्थी के उपलब्ध रहने के बावजूद पावर ग्रिड में अनारक्षित श्रेणी से संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति इस बात पर जोर देती है कि संपर्क अधिकारी संगठन के प्रबंधन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बीच की कड़ी है जिसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। आरक्षण नीति के संबंध में किसी भी मुद्दे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संपर्क अधिकारी के साथ प्रभावी संपर्क रखने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि संपर्क अधिकारी आरक्षित वर्ग से नियुक्त किया जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि या तो मौजूदा जनजातीय अधिकारी या

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उपयुक्त रैंक के जिस अधिकारी को आरक्षण नीतियों का अच्छा ज्ञान है, उसे संबंधित इकाइयों के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक स्टाफ प्रदान किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करना चाहेगी कि चूंकि कुलश कार्यकरण हेतु अ.जा. / अ.ज.जा. के रिक्त पदों हेतु आरक्षण के संबंध में आदेशों और अनुदेशों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी नियमों/ दिशानिर्देशों का या तो अनुभव होना चाहिए अथवा उचित रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए तथा अन्य भारी कार्यालयी जिम्मेदारियों का उन पर भार नहीं होना चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.5 पीजीसीआईएल ने श्रीमती नीला दास, वरिष्ठ महाप्रबंधक को दिनांक 09.05.2018 से अजा/अजजा और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो अजा श्रेणी से संबंधित हैं और पीजीसीआईएल में उपयुक्त अजजा अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण आरक्षण के मामलों से भी अच्छी तरह अवगत हैं। इसके अलावा, कॉरपोरेट सेंटर में 02 अधिकारियों वाली एक आरक्षण-प्रकोष्ठ है जो संगठन में जिम्मेदारी के प्रभावी निर्वहन के लिए दिन-प्रतिदिन के कार्य में संपर्क अधिकारी की सहायता करता है। जैसा कि सलाह दी गई है, पावर ग्रिड जून जुलाई 2022 के महीने में संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके अलावा, एक वरिष्ठ स्तर के अजजा अधिकारी को दिनांक 01.5.2019 को विद्युत मंत्रालय के तहत संगठनों के सभी संपर्क अधिकारी की निगरानी और समन्वय के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, काम की अत्यावश्यकता के कारण, उन्हें दिनांक 11.1.1.2021 को एलओ के रूप में सामान्य श्रेणी के अधिकारी के स्थान पर स्थानांतरित और प्रतिस्थापित किया गया था। बाद में दिनांक 22.12.2021 से एक अन्य वरिष्ठ स्तर के एससी अधिकारी को विद्युत मंत्रालय के लिए एलओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

समिति की टिप्पणियाँ

2.6 कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 1.16 देखें।

सिफारिश संख्या 5

2.7 समिति नोट करती है कि समूह ए के समकक्ष पदों, अर्थात् कार्यकारी पदों के लिए रोस्टर कॉरपोरेट सेंटर में बनाए जाते हैं जबकि समूह बी, सी और डी समकक्ष पदों के लिए रोस्टर, अर्थात् गैर-कार्यकारी पदों को आमतौर पर संबंधित क्षेत्रों में रखा जाता है। यह भी बताया गया है कि रोस्टरों को रखरखाव डीओपीटी के आदेशों के अनुसार किया जाता है, उन्हें वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और संपर्क अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है। तथापि, समिति यह दोहराना चाहती है कि रोस्टर अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने और उनके हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः, समिति आग्रह करती है कि रोस्टरों को रखने का काम उन अधिकारियों को सौंपा जाए जो भर्ती/आरक्षण नियमों से भली-भांति परिचित हैं और उन्हें इस उद्देश्य के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ही बनाए रखते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा देखी गई किसी भी विसंगति को तुरंत इंगित किया जाए और समय पर ठीक किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि रोस्टरों के रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों को इसके उचित रखरखाव और कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि रोस्टरों को अद्यतन किए जाने और उनका निरीक्षण किए जाने के बाद, संगठन की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की जानकारी के लिए अपलोड किया जाए और इससे संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

सरकार का उत्तर

2.8 मानव संसाधन विभाग द्वारा पीजीसीआईएल में पद आधारित रोस्टर बनाया जा रहा है जिसमें योग्य और अनुभवी अधिकारियों को आरक्षण रोस्टरों के अद्यतन का काम सौंपा गया है। ऐसे अधिकारी समय-समय पर जारी भारत सरकार के आरक्षण मामलों के उचित रखरखाव और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार हैं। रोस्टरों की निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के संबंध में, अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसे अपने पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 6

2.9 समिति को बताया गया कि पावर ग्रिड में शिकायत पंजिका रखी जाती है और पीड़ित कर्मचारी उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समिति नोट करती है कि कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई कुछ शिकायतों को

हल करने में 1.5 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि शिकायत निवारण तंत्र को त्रुटिहीन बनाया जाए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित कर्मचारियों को राहत देने के लिए शिकायतों का निपटान अधिकतम छह महीने की अवधि में किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.10 पावरग्रिड में एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र पहले से ही काम कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हो, के त्वरित निपटान के लिए निर्धारित समय सीमा के साथ एक विशेष शिकायत पोर्टल प्रचालन में है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए माननीय समिति द्वारा अनुशंसित 6 महीने की अधिकतम समयावधि पीजीसीआईएल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

सिफारिश संख्या 7

2.11 समिति महसूस करती है कि संविदात्मक नियुक्तियों के गैर-मुख्य क्षेत्रों में, संविदात्मक नियुक्तियों के दौरान संविदात्मक और अन्य लाभों को पूरी तरह नहीं दिया जाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि संविदा पर नियुक्त सभी व्यक्तियों का भुगतान समय पर और सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। समिति पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों सहित संविदा पर नियुक्त लोगों को नियमित नियुक्तियों से जुड़ी पर्याप्त वित्तीय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके उनके प्रति अनुकंपा दृष्टिकोण अपनाए जाने का भी आग्रह करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में संविदात्मक नियुक्तियों पर भरे जाने वाले सभी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.12 संविदात्मक नियुक्ति के गैर-प्रमुख क्षेत्रों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान केवल उनके संबंधित बैंक खाते में डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। बीमा के माध्यम से या किसी भी योजना के तहत चिकित्सा कवरेज के अलावा, पावरग्रिड ने महामारी के दौरान संविदा पर लगे सभी कर्मियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान का विस्तार किया। यह नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए विशेष शिविर/जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। पावरगिड ने संविदा कर्मियों के लिए संबंधित कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है। पावरग्रिड संविदात्मक नियुक्तियों में आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व रखता है। विद्युत मंत्रालय के अन्य सीपीएसयू में भी इसी तरह की पहल की जाती है।

सिफारिश संख्या 9

2.13 समिति कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कार्य की सराहना करती है, लेकिन साथ ही, समिति का दृढ़ मत है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट या अलग योजना तैयार करे। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि इस प्रकार की विशेष योजना भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करने, निवारक स्वास्थ्य परिचर्या, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने, कमजोर श्रेणियों के उत्थान और विकास के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देने और स्लम क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, कंपनी अधिनियम, 2013, अनुसूची VII (i), (ii) और (xi) में उल्लिखित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रयोजन के प्रतिकूल नहीं होगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.14 पावर ग्रिड उन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है जहां सीएसआर गतिविधियों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित आबादी का महत्वपूर्ण अनुपात है। विवरण परिशिष्ट के अनुसार संलग्न है।

अध्याय- तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

सिफारिश संख्या 8

3.1 समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि वर्तमान में पावर ग्रिड में तीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ नामतः ऑल इंडिया पावरग्रिड एससी/एसटी एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन, पावरग्रिड एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटीज एम्पलायज एसोसिएशन और पावरग्रिड एससी/एसटी/बैकवर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हैं। समिति सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों और शिकायतों को उठाने में एसोसिएशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीनों एसोसिएशनों का शीघ्रातिशीघ्र आपस में विलय करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय को दिसंबर में दिनांक 21.12.2022 को हुई बैठक के दौरान समिति द्वारा बताए गए निर्देशानुसार इन सभी एसोसिएशनों को एकजुट करने के लिए लोकतांत्रिक तंत्र बनाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा की जा सके।

सरकार का उत्तर

3.2 पावर ग्रिड द्वारा तीनों एसोसिएशन का आपस में विलय करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। चूंकि इन एसोसिएशनों का गठन/पंजीकरण कर्मचारियों के एक समूह द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 और विशिष्ट पहचान एवं विशेष उप-कानूनों के साथ वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है, इसलिए इन एसोसिएशनों का विलय करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, पावर ग्रिड राष्ट्रीय स्तर पर सभी तीन एसोसिएशनों के साथ प्रत्येक तिमाही में नियमित बैठकें आयोजित करता है जिसमें तीन एसोसिएशनों में से प्रत्येक से चार सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय मुद्दों, यदि कोई हों, को हल करने के लिए सभी एसोसिएशनों के साथ क्षेत्रीय स्तर की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। बैठकों के बाद कार्य-सूची वार कार्यवाही सारांश जारी किए जाते हैं। माननीय समिति के निर्देशों के अनुपालन के लिए तीनों एसोसिएशनों को एक साथ लाने के प्रयास जारी रहेंगे। इसके अलावा, दिनांक 15.03.2022 को आरक्षण रोस्टर की वार्षिक जांच के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने पीजीसीआईएल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के कल्याण पर माननीय संसद की स्थायी समिति के निर्देशों के अनुसार एक एकल व्यापक एसोसिएशन के तहत लाने की संभावना का पता लगाने के लिए भी अवगत कराया है।

समिति की टिप्पणियाँ

3.3 कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 1.19 देखें।

अध्याय – चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश संख्या 1

4.1 समिति यह जानकर हैरान है कि 'महारत्न' सीपीएसई होने के बावजूद, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी नहीं है। देश के शीर्ष सीपीएसई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व न होना गंभीर चिंता का विषय है। समिति इसके कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति का विचार है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पावर ग्रिड में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, ऐसे पदों के लिए पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट/रियायत प्रदान की जाए। समिति इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पावर ग्रिड में उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है, जिससे उनके शीर्ष नीतिगत निर्णय लेने की संभावना समाप्त हो जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों को शामिल करने से उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संभावनाएं बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जा रही नीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

सरकार का उत्तर

4.2 पावर ग्रिड ने आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण मामलों पर सरकार के निर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, ई-8 स्तर (समूह 'ए' स्तर के पदों के भीतर पदोन्नति) अर्थात् उच्च स्तरीय प्रबंधन तक पदोन्नति के लिए विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि बोर्ड स्तर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया के साथ की जाती है। विद्युत

मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

समिति की टिप्पणियाँ

4.3 कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 1.7 देखें।

सिफारिश संख्या 2

4.4 समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि समूह बी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों का अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि पावर ग्रिड में भर्ती समूह "ए" और समूह "सी" पदों पर होती है, जिसका अर्थ है कि समूह बी पद पदोन्नति पद (प्रमोशनल पोस्ट) हैं। समिति विभिन्न छूट देने के बावजूद भी समूह बी पदों में कम प्रतिशत होने के कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति यह सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति आरक्षण के अपेक्षित प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पुरजोर और पूर्ण प्रयास किए जाएं। समिति यह निर्देश देती है कि इस दिशा में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सरकार का उत्तर

4.5 पीजीसीआईएल की पदोन्नति नीति के अनुसार, समूह 'ख' पद अगले उच्च स्तर के पदों (पदोन्नति के माध्यम से समूह 'क' पदों) के लिए फीडर कैडर है। समूह '8' पदों के पात्र कर्मचारियों को प्रभावी मानक तिथियों के साथ वार्षिक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च स्तर के पदों अर्थात समूह 'क' पदों पर पदोन्नत किया जाता है। कभी-कभी पदोन्नति में अपेक्षित प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने के लिए फीडर संवर्ग अर्थात् समूह 'ख' स्तर के कर्मचारी पदोन्नति (समूह 'क' में) के माध्यम से उच्च स्तरीय पदों पर चले जाते हैं जिससे समूहवार ऐसे विशेष श्रेणी के पदों के प्रतिनिधित्व के पर्याप्त प्रतिशत में कमी आती है। इसके अलावा, प्रतिनिधित्व में प्रतिशत की उपरोक्त कमी तब भर जाती है जब इसके फीडर कैडर (अर्थात् समूह 'ग' पदों से) के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के माध्यम से समूह 'ख' पदों पर जाने का अवसर मिलता है। तथापि, पीजीसीआईएल और विद्युत मंत्रालय अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

समिति की टिप्पणियाँ

4.6 कृपया अध्याय I का पैरा संख्या 1.10 देखें।

अध्याय – पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं

- शून्य -

नई दिल्ली;
दिसंबर 2022
अग्रहायण 1944 (शक)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट एक

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

THIRTEENTH SITTING (15.12.2022)

MINUTES

The Committee sat from 1000 hrs. to 1100 hrs. in Chairperson Chamber, Room No. 137, Third floor, Parliament House, New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Guman Singh Damor
4. Shri Anil Firojiya
5. Smt. Goddeti Madhavi
6. Smt. Pratima Mondal
7. Shri Upendra Singh Rawat
8. Shri Jagannath Sarkar
9. Shri Rebati Tripura

RAJYA SABHA

10. Smt. Kanta Kardam
11. Dr. V.Sivadasan
12. Dr. Sumer Singh Solanki

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 SHri P.C. Choulda, Director
3 Shri. V. K. Shailon, Deputy Secretary

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. The Committee then considered the draft report(s) on the following subjects:-

1. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Public Sector Banks/Financial

Institutions/Reserve Bank of India and credit facilities and other benefits being provided by such Institutions/Banks to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes with special reference to State Bank of India".

2. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject
3. "Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Public Sector Undertaking with special reference to Power Grid Corporation of India Limited".
4. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Study of atrocity cases against Scheduled Castes and Scheduled Tribes with respect to implementation of the Prevention of Atrocities Act, 1989 with special reference to cases related to withholding of pensions and retirement benefits of SC/ST Employees"

2. After due consideration, the Committee adopted the aforementioned Report(s) without any modification. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report to both the Houses of Parliament during the ongoing Session.

The sitting of the Committee then adjourned.

<u>परिशिष्ट दो</u>

(प्राक्कथन का पैरा 4 देखिए)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशोंपर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

1. सिफारिशों की कुल संख्या.....09

2. सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.....06

(देखिए सिफारिश क्रम संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 9)

कुल का प्रतिशत 67%

3. सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....01

(देखिए सिफारिश क्रम संख्या 8)

कुल का प्रतिशत 11%

4. सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....02

(देखिए सिफारिश क्रम संख्या 1 और 2)

कुल का प्रतिशत 22%

5. सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है.....शून्य